



परिवहन विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2013–2014



परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश,
शिमला–171004

प्रावक्थन

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है। यहां पर रेल सम्पर्क मार्ग नगण्य के बराबर है तथा राज्य के अधिकांश क्षेत्र सड़क मार्गों से ही जुड़े हुए हैं।

नई सड़कों का निर्माण होने के कारण लोगों द्वारा परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तथा इस बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में भी बस रूट परमिट जारी किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत सभी सड़कों से जुड़े गांव, कस्बों को परिवहन सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ जनता को भी अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने की सुविधा उपलब्ध हो रही है। परिवहन क्षेत्र में यात्री एवं माल-परिवहन के संचालन नियन्त्रण एवं विकास के लिये परिवहन विभाग कियाशील है और इस कार्य को राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं दस क्षेत्रीय प्राधिकरणों के अशासकीय सदस्यों के सहयोग से निष्पादन करने का कार्य कर रहा है। गत वर्ष में विभाग की कार्य निष्पादन प्रणाली के सरलीकरण एवं विकेन्द्रीयकरण की ओर कई कदम उठाए गए हैं। इन में प्रदूषण जांच केन्द्र अधिकृत करने की शक्तियों को; कृषि योग्य भूमि पर ट्रैक्टर के लिये कर छूट देने की शक्तियों को; ट्रेड स्टीफिकेट जारी करने की शक्तियों को जारी करने की शक्तियों को एवं अस्थाई पंजीकरण नम्बर प्रदान करने की शक्तियों को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के स्तर पर विकेन्द्रित किया गया है ताकि इन कार्यों के निष्पादन में कुशलता आ सके। बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये एच०एस०आर०पी० बनाने की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है तथा समय पर नम्बर प्लेट उपलब्ध न होने पर प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड का भी प्रावधान किया गया है। आगामी वर्ष में भी विभाग रेडियो टैक्सी सेवा, व्हीकल ट्रैकिंग सेवा, एकीकृत किराया कार्ड सूविधा एवं अपनी सभी सेवाओं को कप्पयूट्रीकृत माध्यम से देने के प्रति कृत संकल्प है।

निदेशक परिवहन,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-4.

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2013–2014

हिमाचल प्रदेश सरकार

1.	विभाग का नाम	परिवहन विभाग	
2.	विभाग के मन्त्री	श्री जी० एस० बाली	01.04.2013 से 31.03.2014
3.	विभाग के सचिव	श्री अजय मित्तल, भा०प्र०से० अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) श्री अली रजा रिजवी, भा०प्र०से० प्रधान सचिव (परिवहन) श्री के० संजय मूर्ति, भा० प्र० से०, प्रधान सचिव (परिवहन)	01.04.2013 से 27.07.2013 27.07.2013 से 11.11.2013 11.11.2013 से 31.03.2014
4.	विभाग के प्रमुख	श्री रितेश चौहान भा०प्र०से०	01.04.2013 से 31.03.2014

विषय-सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य जानकारी	1
2	विभाग एवं संगठनात्मक ढांचा	2—5
3	वार्षिक कार्यवाही योजना, मुख्य कार्यक्रम, स्कीमें तथा उपलब्धियाँ	5—8
4	परिवहन प्राधिकरण	8—15
5	परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली	15
6	विभाग के आंकड़े	15—21
7	बस अड्डों का निर्माण	21

1. सामान्य जानकारी

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश देश का मुकुट है जो हिमालय की गोद में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पूर्व में उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड, दक्षिण में हरियाणा तथा पश्चिम में पंजाब स्थित हैं।

वैसे तो सड़क परिवहन पूरे देश में ही यातायात का प्रमुख साधन है परन्तु हिमाचल एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां रेल व जल परिवहन केवल नाम मात्र ही है। सड़क परिवहन का प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग का गठन 1949 में हुआ था उस समय हिमाचल प्रदेश एक केन्द्र शासित प्रदेश था। 25 जनवरी, 1971 को प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात् प्रदेश में नये परिवहन प्राधिकरण का गठन हुआ। 2 अक्टूबर, 1974 को हिमाचल राज्य परिवहन (एच0जी0टी0.) से इसका पुनर्गठन करके परिवहन विभाग का स्वरूप दिया गया तथा आयुक्त परिवहन की भी नियुक्ति की गई। 13 जनवरी, 1975 को परिवहन विभाग तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्यालयों का एकीकरण किया गया व आयुक्त परिवहन को इस विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

प्रदेश में सड़क परिवहन की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही है जिसका सहज आभास इस आधार पर हो सकता है कि 1990-91 में प्रदेश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 67103 थी, जो अब बढ़कर 9,74,270 हो गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 में परिवहन क्षेत्र में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां रु0 207.81 करोड़ हो गई हैं। प्रदेश में 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यरत हैं। वाहनों के अवैध प्रचलन को रोकने के लिए 3 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) के कार्यालय शिमला कुल्लू तथा धर्मशाला में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर 12 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ए0आर0टी0ओ0) बैरियर स्थापित हैं। इन बैरियरों की स्थापना के फलस्वरूप काफी हद तक प्रदेश में वाहनों के अवैध प्रचलन पर रोक लगी है और साथ ही सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हुई है।

विभाग परिवहन के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

विभाग अपने कर्तव्यों का निष्पादन निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत करता है :-

1. मोटर यान अधिनियम, 1988
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989
3. हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972
4. हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान नियम, 1974
5. हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999
6. यात्री अनुग्रह अनुदान योजना

2. विभाग एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1. निदेशक परिवहन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। निदेशालय में उप-निदेशक परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त विभाग का कार्य सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए सहायक नियन्त्रक, (वित्त एवं लेखा) पदस्थ हैं। सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण का कार्यालय भी निदेशालय में ही स्थित है जोकि अतिरिक्त आयुक्त परिवहन का कार्य भी देखते हैं।

2.2. परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने की दृष्टि से प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अपने-अपने जिले के कार्यों की देख-भाल करते हैं। वह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रम सं०	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले राजस्व जिले
1.	शिमला	शिमला व किन्नौर
2.	सोलन	सोलन
3.	मण्डी	मण्डी
4.	हमीरपुर	हमीरपुर
5.	कुल्लू	कुल्लू व लाहौल एवं स्पिति
6.	धर्मशाला	कांगड़ा
7.	बिलासपुर	बिलासपुर
8	चम्बा	चम्बा
9	ऊना	ऊना
10	नाहन	सिरमौर

2.3. वाहनों के बढ़ते हुए पंजीकरण एवं जनता की सुविधा की दृष्टि से टैक्सियों, अन्य पर्यटन वाहनों तथा यात्री आटो रिक्शा के पंजीकरण को छोड़ कर सभी गाड़ियों के पंजीकरण के लिए उप-मण्डलीय अधिकारी को पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

1.	जिला शिमला	शिमला (शहरी), शिमला (ग्रामीण), रामपुर, रोहदू, ठियोग, चौपाल, डोडरा-क्वार
2.	जिला किन्नौर	पूह, कल्पा, निचार स्थित भावानगर
3.	जिला सोलन	सोलन, परवाणू, नालागढ़, कण्डाघाट, अर्को
4.	जिला सिरमौर	नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, संगड़ाह
5.	जिला ऊना	ऊना, अम्ब, बंगाणा, हरोली
6.	जिला हमीरपुर	हमीरपुर, बड़सर, नदौन तथा भोरंज, सुजानपुर
7.	जिला मण्डी	मण्डी, मण्डी (ग्रामीण) करसोग, सरकाघाट, जोगिन्द्रनगर, गोहर, सुन्दरनगर, पधर,
8.	जिला कुल्लू	कुल्लू, आनी, बन्जार, मनाली

9.	जिला कांगड़ा	कांगड़ा, देहरा—गोपीपुर, पालमपुर, नूरपुर, धर्मशाला, ज्वाली, बैजनाथ व जयसिंहपुर
10.	जिला बिलासपुर	बिलासपुर व घुमारवीं
11.	जिला लाहौल एवं स्पिति	काज़ा, केलांग व उदयपुर
12.	जिला चम्बा	डलहौजी, चम्बा, भरमौर, पांगी तीसा, चुवाड़ी, सलूनी।

2.4 वर्ष 2013–14 में विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

क्र०सं०	पद नाम	भरे हुए पदों की सं०	रिक्त पदों की सं०	कुल पद
1.	निदेशक परिवहन, हि०प्र०स०	1	—	1
2.	अतिरिक्त निदेशक परिवहन एवं सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, हि०प्र०स०	1	—	1
3.	उप-निदेशक परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उड़नदस्ता, मुख्यालय, हि०प्र०स०	1	—	1
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हि०प्र०स० / विभागीय	11	1	12
5.	सहायक नियन्त्रक, वित्त एवं लेखा	1	—	1
6.	अधीक्षक ग्रेड-1	1	—	1
7.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	12	—	12
8.	सहायक आयुक्त, तकनीकी	1	—	1
9.	अनुभाग अधिकारी, एस०ए०एस०	2	1	3
10.	अधीक्षक ग्रेड-II	8	5	13
11.	वरिष्ठ सहायक / क० सहायक	27	19	46
12.	कम्प्युटर आपरेटर	1	—	1
13.	वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक / मोटर वाहन निरीक्षक	10	2	12
14.	वरिष्ठ आशुलीपिक	1	—	1
15.	कनिष्ठ आशु लिपिक	0	1	1
16.	आशु टक्क	5	2.	7
17.	कनिष्ठ आडिटर	—	2	2
18.	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	63	8	71
19.	चालक (स्थाई)	8	—	8
20.	दफतरी	—	1	1
21.	चपड़ासी	15	—	15
22.	चौकीदार	2	1	3
23.	जमादार सफाई कर्मचारी	2	—	2
24.	यातायात निरीक्षक	11	01	12
25.	आरक्षी	6	0	6
26.	चालक अनुवन्ध पर	6	1	7
27.	चपड़ासी दैनिक वेतन भोगी	3	—	5
28.	गृह रक्षक दैनिक वेतन भोगी	37	—	37
29.	अंशकालिक कार्यकर्ता (including 4 converted in daily wages)	11	1	12
	कुल	247	46	293

2.5 वर्ष 2013–2014 में निम्नलिखित अधिकारी पदस्थ रहे हैं :-

1.	निदेशक परिवहन	1 श्री रितेश चौहान, भा०प्र०से०	01.04.2013 से 31.03.2014
2.	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं अतिरिक्त आयुक्त परिवहन हिमाचल प्रदेश	1 श्री संजय शर्मा, हि०प्र०से०	01.04.2013 से 31.03.2014
3.	संयुक्त आयुक्त परिवहन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता) शिमला, हि०प्र०	1 श्रीमति रीमा कश्यप, हि०प्र०से०	01.04.2013 से 31.03.2014
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला	1. कैप्टन रमन शर्मा, हि०प्र०से०	01.04.2013 से 31.03.2014
5.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला	1 श्री आर०के० ठाकुर, हि०प्र०से० (अतिरिक्त कार्यभार) 2 श्री रत्न गौतम, हि०प्र०से० 3 श्री राकेश वर्मा, हि०प्र०से०	01.04.2013 से 05.04.2013 05.04.2013 से 24.02.2014 10.03.2014 से 31.03.2014
6.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी	1 श्री मदन कुमार, हि०प्र०से०	01.04.2013 से 31.03.2014
7.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कुल्लू	1 श्री अश्वनी कुमार, हि० प्र० से० 2 श्री विरेन्द्र शर्मा, हि० प्र० से० 3 श्री मीनूराम धीमान, हि० प्र० से०	01.04.2013 से 06.06.2013 06.06.2013 से 17.06.2013 17.06.2013 से 31.03.2014
8.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन	1. श्री अरुण कुमार भारद्वाज, हि०प्र०से० 2. श्री निशान्त ठाकुर, हि०प्र०से०	01.04.2013 से 08.07.2013. 08.07.2013 से 31.03.2014
11	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	1 श्री रमेश चन्द ठाकुर, हि०प्र०से० (अतिरिक्त कार्यभार) 2 श्री संजीव शर्मा, हि० प्र० से० (अतिरिक्त कार्यभार) 3 श्री रमेश चन्द राणा, अधीक्षक,(अतिरिक्त कार्यभार) 4 श्री मोहन लाल धीमान, विभागीय	01.04.2013 से 23.08.2013. 23.08.2013 से 07.10.2013 07.10.2013 से 10.12.2013 10.12.2013 से 31.03.2014
12	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़नदस्ता) धर्मशाला	1. श्री राज कृष्ण ठाकुर, हि०प्र०से० 2. श्री रत्न गौतम, हि०प्र०से० (अतिरिक्त कार्यभार) 3. श्री करम सिंह चौधरी, हि०प्र०से०	01.04.2013 से 08.04.2013 07.05.2013 से 05.10.2013 05.10.2013 से 24.02.2014

		4. श्री अश्वनी कुमार चौधरी, हिंप्र०से०	01.03.2014 से 31.03.2014
13	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उडन दस्ता) कुल्लू	श्रीमति कृष्णा नेगी, विभागीय	01.04.2012 से 31.03.2013
14	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर	1 श्री राकेश कुमार कोरला, हिंप्र०से० (अतिरिक्त कार्यभार) 2 श्री संजीव कुमार शर्मा, हिंप्र०से० 3 श्री अक्षय सूद, हिंप्र०से० (अतिरिक्त कार्यभार) 4 श्री अक्षय सूद, हिंप्र०से०	01.04.2013 से 30.04.2013 30.04.2013 से 07.10.2013 25.10.2013 से 20.02.2014 21.02.2014 से 31.03.2014
15	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा	1. श्री ओंकार सिंह बोधपाल, अधीक्षक ग्रेड-1, विभागीय, (अतिरिक्त कार्यभार)	01.04.2013 से 31.03.2014
16	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, नाहन	1 श्री सुनील शर्मा, विभागीय	01.04.2013 से 31.03.2014
17	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना	1 श्री रमेश चन्द ठाकुर, हिंप्र०से०	01.04.2013 से 31.03.2014
18	सहायक आयुक्त, तकनीकी	श्री मोहन लाल धीमान, विभागीय	01.04.2013 से 31.03.2014
19	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	श्री रोशन लाल पराशर, (वित्त एवं लेखा)	01.04.2013 से 31.03.2014

3 वार्षिक कार्यवाही योजना एवं मुख्य कार्यक्रम, स्कीमें, उपलब्धियाँ इत्यादि का विवरण :-

- 3.1.1 विभाग ने इस वर्ष परिवहन नीति के अन्तर्गत ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए इन क्षेत्रों में 54 नए पथ प्रमाण-पत्र जारी किये। इस प्रकार एक ओर जहां बेरोज़गारों को रोजगार प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में अम जनता को सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई है।
- 3.1.2 गत वर्ष विभाग ने सशोधित 202.01 करोड के वित्तीय लक्ष्य के मुकाबले रूपये 207.81. करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।
- 3.1.3 प्रदेश में वाहनों के अवैध प्रचलन को रोकने हेतु विभाग ने प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर परवाणू पावंटा साहिब, स्वारघाट, डमटाल, कण्ठवाल, मैहतपुर, गगरेट, कालाअम्ब, बददी, बरोटीवाला व तुनुहटटी में परिवहन बैरियरों की स्थापना की है, जिससे एक ओर वाहनों का अवैध प्रचलन काफी हद तक रुका है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के राजस्व में मु० 17,56 करोड़ की आय हुई है।

- 3.1.4 परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में मोटर वाहन नियमों की उलंधना करने वालों के विरुद्ध 44228 चालान किए व वाणिज्य वाहनों से चालकों द्वारा मोबाईल फोन के इस्तेमाल करने पर तुरन्त रोक लगा दी गई ताकि दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सके।
- 3.1.5 विभाग द्वारा परिवहन क्षेत्र में भी हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना से रोजगार सृजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत विभाग द्वारा 31.03.2014 तक 73 लोगों को हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु बस परमिट प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान 23,692 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया गया।
- 3.1.6 विभाग यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयासरत है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को बसों की खरीद एवं उनके उचित रख-रखाव के लिए 26.52 करोड़ रुपये की धनराशि (जनरल प्लान) व 09.88 करोड़ रुपये की धनराशि (एससी०एस०पी०) पूंजीनिवेश के रूप में उपलब्ध करवाए गई हैं।
- 3.1.7 हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है, उनकी प्रतिपूर्ति हेतु मु० 120.00 करोड़. रु० भी उपलब्ध करवाए गए हैं।
- 3.1.8 जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभाग ने जनजातीय उप-योजना में वर्ष के दौरान 3.60 करोड़ रु० बसों की खरीद एवं उनके रख-रखाव के लिए निगम को उपलब्ध करवाए हैं।
- 3.1.9 परिवहन निगम की वित्तीय स्थिती को सुदृढ़ करने के लिये वर्ष में निगम को 35 करोड़ रु की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई गई है।
- 3.1.10 प्रदेश में उप-मण्डल एवं खण्ड स्तर पर आधुनिक बस अडडो के निर्माण के लिये वर्ष के दौरान 11.80 करोड़ की राशि बस अडडा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त जन जातीय क्षेत्रों में बस अडडों के निर्माण के लिये 27.78 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई है।
- 3.1.11 प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के निर्माण के लिये 1.00 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाया गया है।
- 3.1.12 परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 में वाहनों की चैकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप विभाग ने मोटर वाहन नियमों की अवहेलना करने वाले 9167 वाहनों से जुर्माना स्वरूप मु० 1,18,42.213 रुपये का राजस्व प्राप्त किया।
- 3.1.13 प्रदूषण केन्द्र अधिकृत करने के लिये शक्तियां सरकार के बजाय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को प्रदान की गई।
- 3.1.14 एच०एस०आर०पी० बनाने की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया तथा समय पर प्लेट उपलब्ध न होने पर प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड का प्रावधान किया गया।
- 3.1.15 विभाग में पारदर्शिता एवं सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के लिये परिवहन सेवा प्रदाता योजना बनाई गई है।

- 3.1.16 50 किमी⁰ के दायरे में चलने वाली बसों में विशेष श्रेणी के यात्रियों के लिये बाई ओर की 40 प्रतिशत सीटें विशेष श्रेणी के यात्रियों के लिये चिन्हित की गईं।
- 3.1.17 हिमाचल पथ परिवहन निगम की तारादेवी, सोलन, कुल्लू, नाहन, बिलासपुर तथा मण्डी कार्यशालाओं को वाणिज्यक वाहनों की पासिंग के लिये अधिकृत किया गया है।
- 3.1.18 कर चोरी रोकने, सड़क सुरक्षा सूनिश्चित करने एवं सूचारू परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के लिये हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेवाएँ ली गई हैं।
- 3.1.19 कृषि योग्य भूमि पर ट्रैक्टर चलाने के लिये कर छूट के लिये सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
- 3.1.20 लम्बित देय कर वसूल करने के लिये सेवानिवृत लेखा— अधिकारियों की नियुक्ति की गई व दो करोड़ रु० के लगभग वसूली की गई।
- 3.1.21 विभाग द्वारा नया लोगों तैयार किया गया।
- 3.1.22 सड़क सुरक्षा के लिये विभाग द्वारा 1.50 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा के लिये पुलिस, विभाग व जिलाधीश को दी गई।
- 3.1.23 विभाग द्वारा समय सारिणी की जिलावार बैठकें की गईं।
- 3.1.24 निदेशालय कार्यालय एवं जिला सोलन के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय एवं टिपरा परवाणू बददी, स्वारघाट बैरीयर को सी०सी०टी०वी० से जोड़ा गया।
- 3.1.25 विभाग में कार्य कुशलता के लिये अधिकारियों को प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिये भेजा गया।
- 3.1.26 अस्थाई पंजीकरण नम्बर प्रदान करने के लिये क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को प्रधिकृत किया गया है।
- 3.1.27 ट्रेड सर्टीफिकेट जारी करने के लिये प्रदेश के पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है।
- 3.1.28 नैशनल परमिट/टैक्सी मैक्सी परमिट व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस परमिट जारी करने के लिये सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है।

3.2 विभाग द्वारा प्रस्तावित योजनाएँ:-

- 3.2.1 रेडियो टैक्सी सेवा प्रदान करना।
- 3.2.2 व्हीकल ट्रैकिंग सेवा प्रदान करना।
- 3.2.3 ई-डीलीवरी सेवा प्रदान करना।
- 3.2.4 बस कतार शालिका की बेहतर सुविधा।
- 3.2.5 किराया कार्ड की सुविधा।
- 3.2.6 आधार कार्ड को वाहन/सारथी के साथ जोड़ना।

3.3 यात्री अनुग्रह योजना

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां बस दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। हिमाचल प्रदेश में से एक है जिसके द्वारा बस दुर्घटनाओं में शिकार हुए लोगों के आश्रितों को तथा दुर्घटना में अपंग हुए लोगों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए 2004 से यात्री अनुग्रह योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि तभी दी जाती है यदि दुर्घटना हिमाचल प्रदेश की सीमा में हुई हो।

यात्री अनुग्रह राशि की दरें निम्न प्रकार से हैं :—

(क)	12 वर्ष तक की आयु के यात्री	50,000 /—
(ख)	12 वर्ष से ऊपर की आयु के यात्री	1,00,000 /—
(ग)	इसके अतिरिक्त दुर्घटना में घायल यात्रियों को उनकी अपंगता की प्रतिशतता के आधार पर भी अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।	
प्रतिवेदन वर्ष में कुल दी गई अनुग्रह राशि		रुपये 60,50,000 /—

4 परिवहन प्राधिकरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत विभिन्न परिवहन मामलों का नियमन करने हेतु निम्न प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं :—

4.1.1 राज्य परिवहन प्राधिकरण

राज्य परिवहन प्राधिकरण, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों के क्रियाकलापों तथा नीतियों को समन्वित तथा नियमित करने, अन्तर्प्रादेशिक विवादों का निपटारा और परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरणों पर नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह पर्यटक वाहनों के पंजीकरण तथा समस्त भारत पर्यटक परमिट स्वीकृत करने का कार्य भी करता है। राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन 25-1-1971 के बाद किया गया था। प्रतिवेदन वर्ष में राज्य परिवहन का गठन इस प्रकार किया गया था जो की निम्न प्रकार से है :—

4.1.2 राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन प्रतिवेदन वर्ष में सरकार की अधिसूचना संख्या 1-1/84-टी०पी०टी०-लूज-॥ दिनांक 10.07.2013 के अनुसार इस प्रकार किया गया है :—

सरकारी सदस्य :

- प्रधान सचिव/सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार अध्यक्ष
- निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश सदस्य
- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण सदस्य सचिव

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री सरदार सिंह ठाकुर,, सूपुत्र श्री एम0आर0 ठाकुर,गांव कठेड़, डाकघर/त0/जिला सोलन, हि0प्र0।
2. श्री सुमित खन्ना, अधिवक्ता, स्थानीय निवासी, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0।
3. श्री राजेन्द्र मोहन, सूपुत्र स्व0 श्री गोपीराम, गां0 चाड़याण, डाकघर धुधार, त0/जिला मण्डी, हि0_प0।

4.1.3 राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्य

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत किया गया है जिसके सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य हैं तथा प्राधिकरण के निम्न कार्य हैं :—

1. सम्पूर्ण भारत भ्रमण/प्रदेश के भीतर यात्री बसों/टैक्सियों तथा मैक्सी कैबों के कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिटों की स्वीकृति प्रदान करना ।
2. पर्यटकों की सुविधा तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हि0प्र0 राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (9) के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत भ्रमण तथा प्रदेश सीमा में यात्री बसों के कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है ।
3. मालभार वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट जारी करना ।

3.2.26 प्रदेश में राष्ट्रीय परमिट भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (12) के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं । भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परमिट स्कीम वर्ष 1976 में लागू की गई है । राष्ट्रीय परमिट स्कीम से पहले क्षेत्रीय परमिट स्कीम विद्यमान थी । वर्ष 1976 से 1986 तक राष्ट्रीय परमिट कोटा प्रणाली के अन्तर्गत जारी किये जाते थे किन्तु राष्ट्रीय परमिट से भारत सरकार द्वारा 1—4—1986 से प्रतिबन्ध हटा दिया गया तथा सभी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का अब किसी भी सीमा तक परमिट जारी करने का अधिकार है । प्रदेश में ऐसे परमिटों की स्वीकृति में गतिशीलता लाने हेतु प्राधिकरण द्वारा नैशनल परमिट/टैक्सी मैक्सी परमिट व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस परमिट जारी करने के लिये सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है ।

इसके अतिरिक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण समय—2 पर सचिव (परिवहन) हि0 प्र0 सरकार जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा मोटर वाहन नियमों व अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं ।

4.2 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण गठित किया गया है जोकि उस क्षेत्र में मोटर वाहनों के संचालन पर नियन्त्रण रखने का कार्य करता है । प्रतिवेदन वर्ष में इन प्राधिकरणों का गठन निम्न प्रकार से है :—

4.2.1 शिमला क्षेत्र

सरकारी सदस्य :

- | | |
|---|---------|
| 1. मण्डलीय आयुक्त, शिमला, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला तथा किन्नौर के लिए | सचिव |
| 3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन | सचिव |
| 4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिरमौर | सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :

- श्री हीरा सिंह ठाकुर, सिरमौर
- श्री इन्द्र सिंह मैहता, सोलन

4.2.2 धर्मशाला क्षेत्र

सरकारी सदस्य :

- | | |
|--|---------|
| 1. मण्डलीय आयुक्त, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला | सचिव |
| 3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा | सचिव |
| 4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना | सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :

- श्री निर्मल पठानिया, धर्मशाला, कांगड़ा
- श्री सुदर्शन शर्मा, ऊना

4.2.3 मण्डी क्षेत्र

सरकारी सदस्य :

- | | |
|--|---------|
| 1. मण्डलीय आयुक्त, मण्डी, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी | सचिव |
| 3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुल्लू तथा लाहौल स्पिति के लिए | सचिव |
| 4. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर | सचिव |
| 5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर | सचिव |

गैर-सरकारी सदस्य :-

1. श्री जैद नाथ, हमीरपुर
2. श्री दौलत राम शर्मा, बिलासपुर

4.2.4 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का पुर्नगठन प्रतिवेदन वर्ष में सरकार की अधिसूचना संख्या 1-1/84-टी०पी०टी०-लूज़-II दिनांक 07.05.2013 के अनुसार इस प्रकार किया गया है:-

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अधिकारिता का क्षेत्र
1	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कांगड़ा	जिला कांगड़ा
2	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, चम्बा	जिला चम्बा
3	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, ऊना	जिला ऊना
4	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हमीरपुर	जिला हमीरपुर
5	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, बिलासपुर	जिला बिलासपुर
6	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, मण्डी	जिला मण्डी
7	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, सोलन	जिला सोलन
8	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, सिरमौर	जिला सिरमौर
9	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कुल्लू	जिला कुल्लू व लाहौल-स्पिति
10	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, शिमला	जिला शिमला व किनौर

उपरोक्त प्राधिकरणों की सदस्यता निम्न प्रकार से है :-

4.2.4.1 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर०टी०ए०) मण्डी		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिं० प्र०।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हिं० प्र०।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री संजीव गुलेसिया, गांव व डाकघर, लैडा, त० सदर, जिला मण्डी, हिं० प्र०।	सदस्य
2	श्री मान सिंह, अधिवक्ता, सूपुत्र श्री जटियाराम, गांव बलोह, डाकघर गोखरा, त० व जिला मण्डी, हिं०प्र०।	सदस्य
4.2.4.2 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर०टी०ए०) कुल्लू और लाहौल स्पिति		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिं० प्र०।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू हिं० प्र०।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री कोश निधि आनंद (निटटू), सुपुत्र श्री रामशरण दास आनंद, गांव व डाकघर बडेली, त० मनाली, जिला कुल्लू हिं० प्र०।	सदस्य
2	श्री सुरेश कारडो, गांव करडांग, डाकघर कैलांग, जिला लाहौल स्पिति, हिं० प्र०।	सदस्य
4.2.4.3 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर०टी०ए०) हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिं० प्र०।		

सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हि० प्र०।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्रीमति अरविंद कौर, गांव व डाकघर मैहरे, त० बड़सर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।	सदस्य
2	श्री सुशील राणा, गांव व डाकघर वैला, त० नदौण, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।	सदस्य
4.2.4.4 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर०टी०ए०) बिलासपुर		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हि० प्र०।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि० प्र०।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री बलजीत कश्यप, सुपुत्र श्री करम सिंह कश्यप, स्थानीय निवासी नजदीक, एस०डी०एम० ऑफिस घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि० प्र०।	सदस्य
2	श्री बंत सिंह चदेल, सुपुत्र श्री किरपाराम, गांव व डाकघर बैरी-रायजदियान, त० सदर, जिला बिलासपुर हि० प्र०।	सदस्य
4.2.4.5 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर०टी०ए०) कांगड़ा		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कांगड़ा जिला कांगड़ा, हि० प्र०।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री संजय चौधरी, उप-प्रधान धलांहा, गांव व डाकघर धलांहा, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।	सदस्य
2	श्री अमित पठानिया, स्थानीय निवासी, गांव व डाकघर पुनजाहरा, त० नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।	सदस्य
4.2.4.6 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर०टी०ए०) चम्बा, जिला चम्बा, हि० प्र०।		
सरकारी सदस्य		
1	मण्डलायुक्त, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि० प्र०।	सचिव
गैर सरकारी सदस्य		
1	श्री राजन कुमार, उपमन्यू सपुत्र श्री शिवकुमार उपमन्यू अल्पस रिजोर्ट्स डलहौजी, जिला चम्बा, हि० प्र०।	सदस्य
2	श्री गुरुचरण कपुर, सूपुत्र श्री चतरसिंह, गांव भारीणी, डाकघर डलहौजी, जिला चम्बा, हि० प्र०।	सदस्य
	इसके अतिरिक्त सरकार की अधिसूचना संख्या 1-1 / 84 टी०पी०टी० लूज-प दिनांक 01.08.2013 द्वारा श्री अमित शर्मा, गांव जाणा, डाकघर ठाकरी मटटी, त० सलूनी, जिला चम्बा, हि० प्र०। को श्री गुरुचरण कपुर, सूपुत्र श्री चतरसिंह, गांव भारीणी, डाकघर डलहौजी, जिला चम्बा, हि० प्र० के स्थान पर सरकार ने गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया है।	

4.2.4.7 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) ऊना, जिला ऊना, हिं0 प्र0।

सरकारी सदस्य

1	मण्डलायुक्त कांगडा, जिला कांगडा, हिं0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना जिला ऊना, हिं0 प्र0।	सचिव

गैर सरकारी सदस्य

1	श्री दीपक लठठ, सूपुत्र श्री चैतराम लठठ, गांव व डाकघर रक्कड़ कलौनी, जिला ऊना, हिं0 प्र0।	सदस्य
2	श्री सूमित कुमार शर्मा, सूपुत्र श्री हरीश कुमार शर्मा, गांव व डाकघर बसाल, त0 व जिला ऊना, हिं0 प्र0।	सदस्य

4.2.4.8 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) शिमला और किन्नौर, हिं0 प्र0।

सरकारी सदस्य

1	मण्डलायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिं0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला, जिला शिमला,, हिं0 प्र0।	सचिव

गैर सरकारी सदस्य

1	श्री नागरुराम, गांव दियूनची—खरशाली, डाकघर लरोट, त0 चिडगांव, जिला शिमला, हिं0 प्र0।	सदस्य
2	श्री अरुण चौहान, सूपुत्र श्री मनोहर चौहान, स्थानीय निवासी चित्रकूट भवन, संजौली, शिमला, हिं0 प्र0।	सदस्य

4.2.4.9 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) सोलन, जिला सोलन, हिं0 प्र0।

सरकारी सदस्य

1	मण्डलायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिं0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिं0 प्र0।	सचिव

गैर सरकारी सदस्य

1	श्री महेन्द्र शर्मा, सूपुत्र पं0 अम्बादत शर्मा, गांव व डाक घाटी, त0 व जिला सोलन, हिं0 प्र0।	सदस्य
2	श्री सतीश कश्यप, स्थानीय निवासी, नजदीक मेन बाजार अर्की, जिला सोलन, हिं0 प्र0।	सदस्य

4.2.4.10 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर0टी0ए0) सोलन, जिला सोलन, हिं0 प्र0।

सरकारी सदस्य

1	मण्डलायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिं0 प्र0।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हिं0 प्र0।	सचिव

गैर सरकारी सदस्य

1	श्री राकेश ठाकुर, सूपुत्र श्री तेजवीर सिंह ठाकुर, गांव अप्पर जामली, डाकघर सुरला, त0 नाहन, जिला सिरमौर, हिं0 प्र0।	सदस्य
2	श्री संजीव कुमार, (निटटू) राजगढ़, जिला सिरमौर, हिं0 प्र0।	सदस्य

4.3.1 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कार्य

स्टेज़ कैरिज परमिट जारी करना

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्टेज कैरिज परमिट जारी किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रतिवेदन वर्ष में निजी क्षेत्र तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में निम्न परमिट जारी किये हैं :—

बस का प्रकार	कुल जारी किये गये स्थाई परमिट
निजी क्षेत्र की बसें	06
हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें	32
प्राईवेट सर्विस व्हीकलज़	485

4.3.2 माल भार वाहनों के परमिट जारी करना

प्रदेश में माल ढोने का कार्य मुख्यतः ट्रकों द्वारा ही किया जाता है जिनमें आलू सेब तथा अन्य कृषि उत्पादों की समयबद्ध छुलाई भी सम्मिलित है। अतः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस कार्य हेतु गुडज़ कैरियर के लिए राज्य के परमिट जारी करना और राष्ट्रीय परमिटों का नवीनीकरण भी किया जाता है। प्रतिवेदन वर्ष में जारी मालभार वाहक परमिटों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

- | | | |
|----|-------------------------------|-------|
| 1. | स्थाई परमिट | 6485 |
| 2. | राष्ट्रीय परमिटों का नवीनीकरण | 14534 |

4.3.3 समय सारिणी जारी करना

प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए समय—समय पर सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की अध्यक्षता में संयुक्त समय सारिणी की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें निजी तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का आने तथा जाने का समय निर्धारित किया जाता है जिसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

4.3.4 प्रतिहस्ताक्षर

किसी भी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट किसी अन्य क्षेत्र में तब तक वैध तथा मान्य नहीं होता जब तक कि वह उस क्षेत्र के प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न किया गया हो इसी प्रकार किसी एक राज्य का परमिट दूसरे राज्य में वैध नहीं होगा जब तक वह उस राज्य के राज्य प्राधिकरण या क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न किया गया हो।

परमिट जारी करने के अतिरिक्त विभाग निम्नलिखित स्कीमों एवं कार्यों को नियन्त्रित करता है।

4.3.5 विशेष पथ कर

वर्ष 2000 से पहले बसों का यात्री कर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता था। सरकार के निर्णय के अनुसार दिनांक 1-1-2000 से सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चलने वाली बसों से विशेष पथकर एकत्रित करके सूचना हर माह मुख्यालय को दी जाती है। प्रतिवेदन वर्ष 1.4.2013 से 31.3.2014 तक विशेष पथकर की एकत्रित राशि मु0 36.32 करोड़ रु0 प्राप्त हुई है।

4.3.6 राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 89 के अन्तर्गत एक सदस्यीय प्राधिकरण स्थापित किया गया है जिसका अतिरिक्त कार्यभार सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया गया है। यह प्राधिकरण राज्य परिवहन तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलों की सुनवाई करता है। प्राधिकरण का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्थित है।

5 परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली

परिवहन विभाग सभी प्रकार के वाहनों के परमिट जारी करने के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यों का निर्वहन करना, हिंप्र0 के साथ लगते प्रदेशों के साथ अन्तर्राज्यीय स्टेज कैरिज, गुड्ज कैरिज सम्बन्धी पारस्पारिक समझौते करना, यात्री बीमा योजना के अन्तर्गत जो कि वर्ष, 1977 से लागू है, अनुग्रह राशि का भुगतान करना, राज्य परिवहन उपकरण हिमाचल पथ परिवहन निगम में पूँजी निवेश करना, मोटर वाहन अधिनियम व नियम तथा हिंप्र0 मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा नियमों के अधीन समस्त करों की उगाही करना तथा नियमों की व्याख्या एवं कार्यन्वयन करना इत्यादि कार्य परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली में शामिल हैं।

6 विभाग के आंकड़े:-

6.1 परमिट जारी करने के अतिरिक्त विभाग मुख्यालय स्तर पर निम्नलिखित स्कीमों एवं कार्यों को नियन्त्रित करता है :-

मांग संख्या	लेखा शीर्ष	सहायता / उपदान	अनुदान / अंशदान
25	3055 / 190 / 01, गैर-योजना	1,20,00,00,000	उपदान हेतु
25	3055 / 190 / 01, योजना	35,00,00,000	सहायता अनुदान (वेतन)
25	5055 / 050 / 01	9,33,00,000	बस अडडों का निर्माण
25	5055 / 050 / 03	75,00,000	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का निर्माण
25	5055 / 190 / 02 / योजना	26,52,00,000	पूँजीगत परिव्यय

31	5055 / 796 / 01, योजना 5055 / 796 / 02, योजना	3,60,00,000 27,78,000	टी०ए०एस०पी० पूंजीगत परिव्यय टी०ए०एस०पी० बस अडडों का निर्माण
32	5055 / 789 / 01 योजना 5055 / 789 / 02 योजना 5055 / 789 / 03 योजना	9,88,00,000 2,47,00,000 25,00,000	एस०टी०एस०पी० पूंजीगत परिव्यय बस अडडों का निर्माण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का निर्माण

विभाग द्वारा वर्ष 2013–2014 में व्यय की गई राशि तथा आय का मदवार विवरण निम्न प्रकार से है :—

6.2 व्यय

(क)	3055—सड़क परिवहन, योजना 3055—सड़क परिवहन, गैर योजना	— 5,71,78,098
		जोड़ 5,71,78,098
(ख)	2041—वाहनों पर कर योजना 2041—वाहनों पर कर, गैर—योजना	— 3,82,63,437
		जोड़ : 3,82,63,437
(ग)	3056—जल परिवहन गैर—योजना	3,85,527
		जोड़ 3,85,527
(घ)	2059—कार्यालय भवनों की मुरम्मत	1,920.
		जोड़ 1,920
(ङ)	2235—यात्री अनुग्रह राशि	60,50,000
		जोड़ 60,50,000

6.3 आय

0041—वाहनों पर कर 1055—सड़क परिवहन	2,07,80,72,333 1,05,84,589
	कुल जोड़ 2,08,86,56,922

6.4 वाहनों के निरीक्षण उपरान्त पासिंग

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1999 के नियम 38 के प्रावधानों के अनुसार सभी नए एवं पुराने परिवहन वाहनों के यन्त्रवत् और सही प्रचलन हेतु प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य बोर्ड द्वारा सूनिश्चित किया गया है। बोर्ड का गठन नीचे दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 जो कि जुलाई, 1989 से लागू है के अन्तर्गत नये वाहनों की पासिंग दो वर्ष के लिए की जाती है जबकि पुराने वाहनों की पासिंग एक वर्ष के लिए की जाती है।

बोर्ड में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित है :—

1. सभी पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, हि0प्र0
2. सभी मोटर वाहन निरीक्षक, हि0प्र0

वर्ष 2013–14 में उपरोक्त कथित बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षण का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	कुल पास किए गये वाहन
1	बड़े माल—वाहन ; सभी प्रकार के	24066
2	छोटे मालवाहन ; सभी प्रकार के	23680
3	प्राइवेट सर्विस व्हीकल्ज़	2405
4	स्टेज कैरिज बसें	4795
5	शिक्षा संस्थानों की बसें	1327
6	कान्ट्रैक्ट कैरेज :	
	(क) ओमनी बसें	148
	(ख) टैक्सियां	5641
	(ग) मैक्सी कैब्ज़	5154
8.	एम्बूलैन्सें	376
9.	अन्य वाहन जो उपरोक्त में नहीं दर्शाए गए हैं।	10728
	कुल वाहन	78320

6.5 हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1999 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1–4–2013 से 31–3–2014 तक लिये गए सभी पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, हि0प्र0 व सभी मोटर वाहन निरीक्षक, हि0प्र0 कथित बोर्ड द्वारा किये गए चालक लाइसेन्स टैस्ट का विवरण

दिनांक 01–04–2013 से 31–03–2014 तक लिए गये कुल टैस्ट 77771

जितनों ने टैस्ट पास किया 66535

जितने अनुतीर्ण हुए 11236

अन्तराष्ट्रीय ड्राइविंग लाईसैन्स 154

टैक्सियों एवं अन्य पर्यटन वाहनों का पंजीकरण सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण व सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है ।

6.6 वर्ष 2013–14 के दौरान हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत विभिन्न प्रकार के वाहनों का पंजीकरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

ऐम्बुलेन्स	AMBULANCE	112
बसें	BUS	531
क्रेने	CRANE	14
डीलीवरी वैन	DELIVERY VAN	08
अर्थ मूविंग इक्वीपमेन्ट	EARTH MOVING EQUIPMENT	142
एक्वेटर	EXCAVATOR	77
कैम्पर वैन	CAMPER VAN	1
फायर फाइटर	FIRE FIGHTER	2
पैसैन्जर एण्ड गुडस व्हीकल	PASSENGER AND GOODS VEHICLE	1
हैवी गुडस व्हीकल	HEAVY GOODS VEHICLE	3193
ट्रैक्टर (प्राइवेट)	TRACTOR (PVT.)	15
ट्रैलर एग्रीकल्चर	TRAILOR AGRICULTURE	1
इनवेलिड कैरिज	INVALID CARRIAGE	5
जीप टैक्सी	JEEP TAXI	40
एल०एम०वी० (कार)	L.M.V. (CAR)	25357
एल०एम०वी (इपोर्टिड)	L.M.V. (IMP.)	32
एल०एम०वी (वैन)	L.M.V. (VAN)	315
एल०एम०वी (जिप/जिप्सी)	L.M.V.(JEEP/GYPSY)	1457
लाईट गुडस व्हीकल	LIGHT GOODS VEHICLE	5501
मैक्सी कैब	MAXI CAB	600
मेडियम गुडस व्हीकल	MEDIUM GOODS VEHICLE	450
मिनी बस	MINI BUS	248
मोपेड	MOPED	612
मोटर कैब / कार टैक्सी	MOTOR CAB / CAR TAXI	1292
मोटर साईकल	MOTOR CYCLE	36625
मोटर साईकल (इपोर्टिड)	MOTOR CYCLE (IMP.)	52
मोटर साईकल विद साईड कार	MOTOR CYCLE WITH SIDE CAR	1
मोबाइल सर्विस वैन	MOBILE SERVICE VAN	2
ओमनी बस	OMNI BUS	39
ओमनी बस (प्राइवेट)	OMNI BUS(PVT)	179
पी०एस०वी० मोटर कैब	PSV MOTOR CAB	337
रिकवरी वैन (हल्के)	RECOVERY VAN (LIGHT)	11
डम्पर	DUMPER	7
स्कूटर विद साईड कार	SCOOTER WITH SIDE CAR	18
स्कूटर मोपेड	SCOOTER/MOPED	16388
ट्रैक्टर (प्राइवेट)	TRACTOR PRIVATE	15
टैन्कर	TANKER	3
थ्री व्हीलर (गुडस)	THREE WHEELER (GOODS)	138

थ्री व्हीलर (पैसेन्जर)	THREE WHEELER (PASSENGER)	185
थ्री व्हीलर (प्राइवेट)	TOURIST MAXI CAB	7
टूरिस्ट मोटर कैब / टैक्सी	TOURIST MOTOR CAB / TAXI	17
ट्रैक्टर (एग्रिकल्चर)	TRACTOR (AGRICULTURE)	43
ट्रैक्टर (कॉर्मश्यल)	TRACTOR (COMMERCIAL)	1195
ट्रेलर (कॉर्मश्यल)	TRAILER(COMMERCIAL)	2
ट्रांसिट मिक्सर	TRANSIT MIXER	9
यूटीलिटी वैन	UTILITY VAN	3
हीकल मिटिड ड्रीलिंग रीएस	VEHICLE FITTED DRILLING RIGS	6
मिनी बस	MINI BUS	248
डीलीवरी वैन	DELIVERY VAN	8
डीलक्स बस	DELUX BUS	28
हीकल फिटिड विद कम्प्रेसर	VEHICLE FITTED WITH COMPRESSOR	1
कुल	Total	95302

6.7 इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के कार्यन्वयन हेतु विभागीय अधिकारी पूरी तरह से सत्तर्क रहते हैं। प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य के फलस्वरूप सैलानियों का आवागमन पूरे वर्ष चला रहता है, जिससे विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रदेश में प्रवेश स्वभाविक है। वाहनों की अधिक आवाजाही से मोटरयान अधिनियमों और नियमों के उल्लंघन करने की घटनाएँ भी अधिक बढ़ जाती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए समय-समय पर प्राधिकृत अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा चैकिंग की जाती है। चैकिंग के दौरान किए गए चालानों तथा वसूल की गई समझौता राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

01.04.2013 से 31.03.2014 तक किये गये चालानों की संख्या	समझौता राशि प्राप्त हुई
44228	रु0 790.36 लाख

6.8 प्रदूषण चैकिंग

परिवहन विभाग, हिंप्र० में पैट्रोल व डीजल चलित वाहनों का प्रदूषण चैक करने के लिए 24 स्मोक मीटर व 25 गैस एनेलाईजर तथा 6 ध्वनि लैवल मीटर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निजी व सरकारी क्षेत्र में भी 72 प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किये गए हैं। वाहन का प्रदूषण नियन्त्रण में है, का प्रमाण पत्र तीन मास के लिए जारी किया जाता है।

जिन वाहनों का प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है उनके वाहन स्वामियों को वाहनों की मुरम्मत करने के लिए कहा जाता है तथा दूसरी बार चैक करके यदि प्रदूषण नियन्त्रण में है तो प्रदूषण नियन्त्रण जांच का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। उपरोक्त में दर्शाये गए यन्त्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं :—

क्र सं०	स्थान	स्मोक मीटर	गैस एनेलाईजर	ध्वनी लैवल मीटर
1.	शिमला मुख्यालय	1	1	—
2.	तारादेवी	1	1	1
3.	रामपुर	1	1	—

4.	भावानगर	1	1	—
5.	सोलन	1	1	1
6.	नालागढ़	1	1	—
7.	नाहन	1	1	—
8.	पांवटा साहिब	1	1	—
9.	बिलासपुर	1	1	—
10.	मण्डी	1	1	1
11.	सुन्दरनगर	1	1	—
12.	कुल्लू	1	1	1
13.	मनाली	1	1	—
14.	धर्मशाला	1	1	1
15.	पालमपुर	1	1	—
16.	जस्तूर	1	1	—
17.	डमटाल	1	1	—
18.	चम्बा	1	1	—
19.	बनीखेत	1	1	—
20.	ऊना	1	1	—
21.	गगरेट	1	1	—
22.	हमीरपुर	1	1	1
23.	नदौन	1	1	—
24.	दाङ्लाघाट	1	1	—
25.	परवाणू	—	1	—
	कुल..	24	25	6

6.9 परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का प्रदूषण चैक करने के लिए 74 निजी व अर्ध सरकारी संस्थाओं को प्राधिकृत किया है जिनका जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रदूषण चैकिंग संस्था की संख्या
1	शिमला	9
2	सोलन	13
3	मण्डी	7
4	बिलासपुर	3
5	कुल्लू	4
6	हमीरपुर	5
7	कांगड़ा	20
8	ऊना	4
9	चम्बा	5
10	सिरमौर	4
11	किन्नौर	0
12	लाहौल एवं स्पिति	0
	कुल	74
	पथरपरिवहन निगम	4

	निजी क्षेत्र में	70
--	------------------	----

6.10 चालक प्रशिक्षण स्कूल

परिवहन विभाग द्वारा अच्छे प्रशिक्षित चालक उपलब्ध करवाने हेतु निजी व सरकारी क्षेत्र में 183 चालक प्रशिक्षण स्कूल खोले गये हैं जिनका जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	जिला का नाम	हल्के मोटर वाहन (गैर परिवहन)	हल्के परिवहन वाहन	भारी परिवहन वाहन	कुल
1	शिमला	28	1	4	33
2	सोलन	12	4	2	18
3	कांगड़ा	27	5	3	35
4	मण्डी	25	7	5	37
5	कुल्लू	6	2	1	9
6	बिलासपुर	7	0	6	13
7	ऊना	2	0	3	5
8	चम्बा	0	0	3	3
9	सिरमौर	6	0	1	7
9	किन्नौर	5	0	0	5
10	हमीरपुर	14	1	3	18
	कुल	132	20	31	183

संक्षिप्त विवरण

	श्रेणी	आई०टी०आई०	हिमाचल पथ परिवहन निगम	निजी क्षेत्र	कुल
	एल०एम० (एन०टी०पी०टी०)	5	0	126	131
	एल०टी०वी०	4	0	17	21
	एच०टी०वी०	2	11	18	31
	कुल	11	11	161	183

7 बस अड्डों का निर्माण

बस अड्डों का निर्माण बसों के रात्रि ठहराव तथा बसों की आवाजाही पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त उप-मण्डल/खण्ड स्तर पर तथा जन जातीय क्षेत्रों में आधुनिक बस अड्डों का निर्माण करवा कर आने-जाने वाले बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 1-4-2000 को हो चुका है। अब समस्त बस अड्डों से सम्बन्धित कार्य बस अड्डा प्राधिकरण द्वारा ही किए जाते हैं।

